राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/275 (1)ईएमआरएस क्षमता वृद्वि/2020–21/ दिनांक

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर।

विषय : एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल दादिया,गोगुन्दा 240 बालक की आवासीय क्षमता का छात्रावास निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल गोगुन्दा **परिसर में 240 बालक क्षमता का छात्रावास निर्माण** हेतु विभागीय पत्रांक 11156–66 दिनांक 09.06.2020 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति राशि रू. 600.00 लाख की जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नियुक्त गया।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना राशि रू. 642.31 लाख की प्राप्त होने से एवं पत्रावली के पैरा संख्या 9 पर शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में **एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल दादिया, गोगुन्दा जिला उदयपुर में 240 बालक की आवासीय क्षमता का छात्रावास निर्माण की** संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कॉलम संख्या–5 में वर्णित राशि की राशि रू. 642.31 लाख की जारी की जाती है–

(राशि लाखो मे)

क्र.स.	जिला	स्थान	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	उदयपुर	**एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल, गोगुन्दा परिसर में 240 बालक क्षमता का छात्रावास निर्माण**	ACE RSAMB JAIPUR/06/06.08.20	642.31

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित राशि में से निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाऐंगे:–

क.सं.	**तल**	**विवरण**	**मात्रा**
A	भू–तल	वार्डन क्वार्टर	01
		आगंतुक कक्ष	01
		सिक रूम	01
		सिक्योरीटी रूम	01
		स्टोर रूम	01
		डब्ल्यूसी + बाथ + दिव्यांग व्यक्तियो के लिये टॉयलेट	8 + 8 + 1
		9 डोरमेट्री 6 बेडेड	9 X 6 = 54 बेड
		2 डोरमेट्री 3 बेडेड	2 x 3 = 6 बेड
B	प्रथम तल	14 डोरमेट्री 6 बेडेड	14 X 6 = 84 बेड
		2 डोरमेट्री 3 बेडेड	2 x 3 = 6 बेड
		डब्ल्यूसी + बाथ	12 + 12
C	द्वितीय तल	14 डोरमेट्री 6 बेडेड	14 x 6 = 84 बेड
		2 डोरमेट्री 3 बेडेड	2 x 3 = 6 बेड
		डब्ल्यूसी + बाथ	12 + 12

कृपया उक्त कार्य के निर्माण कार्य को समयबद्वता एवं गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न करने हेतु एम.ओ.यू. (M.O.U) प्राप्त कर प्रस्तुत करे। उपरोक्त कार्य हेतु राशि हस्तांतरण प्रथक से किया जा रहा है।

कृ.प.उ.

शर्तें–

1. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व साईट प्लान एवं 3 डी ऐलिवेशन प्रस्तुत करे।
2. तकमीने एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार समय पर निविदाए आमंत्रित कराई जाकर निर्धारित समयावधि मे कार्य सम्पन्न कराया जाये। कार्य निर्धारित अवधि मे पूर्ण न होने व कार्य मे विलम्ब के कारण यदि लागत मे वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जम्मेदार होगी।
1. कार्य तकनीकी अधिकारियों की देख–रेख में तकनिकी स्वीकृति व ड्राईग अनुसार **पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक** सम्पादित किया जावें। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति बिना नही किया जावे।
3. स्वीकृत कार्यो का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
4. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः लौटाई जावे।

sd

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/275 (1)ईएमआरएस क्षमता वृद्वि/2020–21/ 22960-73 दिनांक 30/9/2020

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि पंत भवन जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार/ निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. प्रधानाचार्य/अधीक्षक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल दादिया, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
10. गार्ड फाईल।

~~अतिरिक्त~~ आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in., Website www.tad.rajasthan.gov.in